

प्रारूप 45
[नियम 82 (1) देखिए]
पर्यटन यान की बाबत परमिट दिए जाने के लिए आवेदन

सेवा में,

राज्य परिवहन अधिकारी

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र (राज्यों के नाम विनिर्दिष्ट करें)
राज्य में पर्यटन यान के लिए विधिमान्य परमिट दिए जाने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं—

1. आवेदक (आवेदकों) का पूरा नाम:
 2. आवेदक की हैसियत, क्या वह व्यक्ति कम्पनी या भागीदारी फर्म, सहकारी सोसाइटी आदि हैं (व्यष्टि की दशा में) और फर्म या कम्पनी की दशा में, यथास्थिति प्रबन्ध भगीदार या प्रबन्ध निदेशक की विशिष्टियाँ
 3. पिता/पति का नाम :
 4. पूरा पता :
- (व्यष्टियों की दशा में राशनकार्ड, बिजली के बिल आदि अनुप्रमाणित प्रति द्वारा या राज्य परिवहन प्राधिकारी के समाधान रूप में की अन्य विधिमान्य दस्तावेज द्वारा और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन या भागीदारी विलेख की सत्यापित प्रति द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए)
5. (क) क्या स्वयं आवेदक यान चलाना चाहता है?
(ख) (1) यदि हाँ, तो क्या आवेदक के पास भरी यात्री मोटर यान चलन अनुज्ञाप्ति है?
(2) चालन अनुज्ञाप्ति का संख्यांक, तारीख और विधिमान्यता की अवधि
(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी का नाम और पता
 6. प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र, बीमा प्रमाण—पत्र
 7. किसी विशिष्ट यान की बाबत अन्य परमिटों, यदि कोई हो, का व्यौरा
 8. आवेदक के पास परमिटों की कुल संख्या का व्यौरा
 9. यान का टाइप
 10. मोटर यान का मैक
 11. मैं/हम इसके साथ यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र भेजता हूँ/भेजते हैं या मैं/हम यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र परमिट जारी किए जाने से पहले प्रस्तुत कर दूँगा/देगे।
 13. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त कथन सत्य है और कि मैं/हम इस राज्य का/के निवासी हूँ/हैं और इस राज्य में(स्थान) पर मेरा/हमारा कारोबार का मुख्य स्थान है।
 14. मैंने/हमने रूपये की फीस का संदाय कर दिया है।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप